



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2016 का प्रतिवेदन सं. 2**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2016 का प्रतिवेदन सं. 2

_____ को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
अध्याय I: राजस्व विभाग- केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1-26
1.1 संघ सरकार के संसाधन	1
1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	2
1.3 संगठनात्मक संरचना	2
1.4 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन	3
1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान	4
1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि-प्रवृत्ति एवं संयोजन	5
1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ	6
1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	7
1.9 कर आधार	8
1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे	9
1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत परिव्यक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	10
1.12 व्यापार सुविधा	11
1.13 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा	12
1.14 प्रतिदाय	15
1.15 आंतरिक लेखापरीक्षा	16
1.16 काल बुक	18
1.17 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया	18
1.18 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व	19

विषय	पृष्ठ
1.19 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण	20
1.20 संग्रहण की लागत	21
1.21 अधिनिर्णय	22
1.22 अपीलीय के मामले	23
1.23 मंत्रालय द्वारा डाटा प्रस्तुत न करना और प्रस्तुत किये गये डाटा में विसंगति	25
1.24 लेखापरीक्षा प्रयास और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद -अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	25
1.25 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया	25
1.26 प्रतिवेदन विहंगावलोकन	25
1.27 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई	26
1.28 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	26
1.29 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव	26
अध्याय II: एसएसआइ इकाइयों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूटें	27-40
2.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में लघु उद्योगों को छूट	27
2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य	27
2.3 कार्यक्षेत्र और कवरेज	27
2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	28
2.5 परित्यक्त और संग्रहीत राजस्व	28
2.6 निगरानी तंत्र की अपर्याप्तता	29
2.7 छूट हेतु शर्तों को पूरा न करना	33
2.8 सेनवेट क्रेडिट	36
2.9 अन्य विषय	37
2.10 निष्कर्ष	40

विषय		पृष्ठ
अध्याय III: महानिदेशक लेखापरीक्षा और उनकी क्षेत्रीय इकाईयों की कार्यप्रणाली		41-62
3.1	प्रस्तावना	41
3.2	संगठन	41
3.3	कार्य एवं प्रक्रिया	42
3.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	43
3.5	कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा कवरेज	43
3.6	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	44
3.7	निष्कर्ष	62
3.8	सिफारिशें	62
अध्याय IV: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमा शुल्क में कर लेखांकन एवं मिलान		63-131
4.1	प्रस्तावना	63
4.2	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का लेखांकन	70
4.3	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	86
4.4	सेवा कर का लेखांकन	97
4.5	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	108
4.6	सीमाशुल्क का लेखांकन	112
4.7	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	127
4.8	निष्कर्ष	130
4.9	सिफारिशें	131
अध्याय V: कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा अधिनिर्णय प्रक्रिया		133-157
5.1	प्रस्तावना	133
5.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	136

विषय	पृष्ठ
5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कवरेज	136
5.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	136
5.5 कारण बताओ नोटिस जारी करना	136
5.6 कारण बताओ नोटिस की पूर्णता	141
5.7 अधिनिर्णय की प्रणाली	141
5.8 वापास भेजे गये मामलों का अधिनिर्णय	145
5.9 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता	148
5.10 निष्कर्ष	157
अध्याय VI : नियमों एवं विनियमों का अननुपालन	159-165
6.1 प्रस्तावना	159
6.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान	159
6.3 सेनवेट क्रेडिट	163
6.4 अन्य मामले	165
अध्याय VII : आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता	167-189
7.1 प्रस्तावना	167
7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	167
7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा	167
7.4 अन्य चूकें	184
परिशिष्ट I	191
परिशिष्ट II	192
परिशिष्ट III	194
शब्दावली	196